

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) जे-68/2023/अलेसे-III/650

दिनांक:- 11.02.2026

कार्यालय आदेश

श्री जितेन्द्र वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 452550) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर को अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय), निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 14.07.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 19.05.2025 से 12.06.2025 कुल (25 दिवस)

(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं दिनांक 12.06.2025 निजी कारण के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री जितेन्द्र वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

उक्त निदेशक महोदया द्वारा अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई) जे-68/2023/अलेसे-III/650

दिनांक:- 11.02.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री जितेन्द्र वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
- 5 रक्षित/निजिपत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.02.10 11:58:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref.No.:
20271691
eSign 1.0

